राजस्थान आवासन मण्डल

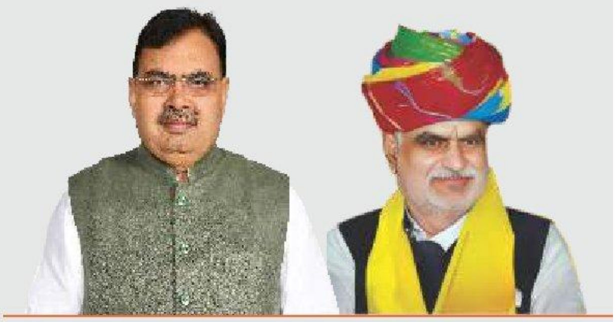

श्री भजन लाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

श्री झाबर सिंह खर्रा
माननीय मंत्री,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

लंगेरा आवासीय योजना
बाड़मेर

हमारा प्रयास, सबको आवास

(विशिष्ट पंजीकरण योजना–2025)

(रेरा पंजीकरण संख्या RAJ/P/2025/...4145...)

RERA Website : https://rera.rajasthan.gov.in/

आवेदन अवधि : **20 अगस्त 2025 से 19 सितम्बर 2025**

आय वर्ग

EWS 80 Nos
LIG 120 Nos

आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और मकान बनाने के लिये आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- मकान के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के मकान के लिये आप निर्धारित किश्त देते रहे तो भी कुछ ही वर्षों में मकान आपका हो जायेगा।
- मण्डल द्वारा निर्मित मकानों का डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं/वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है, जिससे मकान में न केवल समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती है बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्क संगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानें, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बिना लाभ-हानि के सिद्धान्त पर चलता है तथा बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अत: निर्विवाद रुप से मण्डल के मकान सस्ते पड़ते हैं।

मूल्य रु0 300 + 54 = 354/–

राजस्थान आवासन मण्डल

"विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2025"

लंगेरा आवासीय योजना, बाड़मेर

रेरा पंजीकरण संख्या : **RAJ/P/2025/4145**

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के स्वतंत्र आवास हेतु आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का कार्यक्रम

कार्यक्रम

1. ऑनलाइनआवेदन–पत्र उपलब्ध : ....
2. ऑनलाइनआवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : ....
3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि
5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान

(3 से 6 हेतु:) **अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट http:/rhb.rajasthan.gov.in पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।**

सम्पर्क सूत्र

कार्यालय परियोजना अभियंता (कनि.) राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड प्रथम, जोधपुर फोन नं. 8769775606	आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड प्रथम जोधपुर फोन नं. 0291–2700180 फोन नं. 9772234410	उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत–द्वितीय जोधपुर फोन नं. 9828559966	अतिरिक्त मुख्य अभियंता (द्वित्तीय) राजस्थान आवासन मण्डल,जोन जोधपुर फोन नं. 0291–2717539

विशेष

1. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट http:/rhb.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन भरे जायेंगे। इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रूपये 354/– मे पंजीकरण राशि व प्रोसेसिंग शुल्क सम्मिलित कर सीधे ही अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड मार्फत जमा करायी जा सकती है या चालान प्रिन्ट कर **IDFC FIRST BANK,** बैंक के खाता **KASTURI PLAZA, BOMBAY MOTOR CIRCLE JODHPUR के खाता संख्या 10231662435 IFSC** कोड **IDFD0042481** की किसी भी शाखा में जमा करायी जा सकती है।
2. राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजनाओं में आवेदन करने हेतु पंजीकरण राशि का भुगतान केवल RHBMS पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएगें। इसके लिए ऑनलाइन भुगतान इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है और ऑफलाइन भुगतान (चैक/डीडी) पोर्टल द्वारा जारी किए गए बैंक चालान के माध्यम से किया जा सकता है।
   राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के खाते में किसी भी अन्य माध्यम (RTGS/NEFT/चेक/डीडी) से सीधे किए गए भुगतान मान्य नही होगें और इस प्रकार किए गए सभी आवेदनों को रद्द माना जाएगा।

राजस्थान आवासन मण्डल

''विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2025''

लंगेरा आवासीय योजना, बाड़मेर

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के स्वतंत्र आवास हेतु आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण की प्रस्तावना

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल **अधिनियम – 4 वर्ष 1970** के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल का सदैव यह प्रयास रहा है कि ऐसे आवास बनाये जावें जो हवादार, आरामदायक जिसमें बिजली पानी जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ती पूरी हो।

मण्डल का विशेष रुप से सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने पर केन्द्रित रहा है। यद्यपि यह कार्य काफी कठिन एवं चुनौतीपूर्ण है, फिर भी मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो।

''विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2025''

लंगेरा आवासीय योजना जिला बाड़मेर

लंगेरा आवासीय योजना, बाड़मेर की आवास समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल समय–समय पर विभिन्न आवासीय योजनाओं की सफलता के बाद लंगेरा अवासीय योजना बाड़मेर में विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2025 प्रारम्भ करने जा रहा है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 80 एवं अल्प आय वर्ग के 120 आवास निर्मित किये जाने प्रस्तावित हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका–1

आवासों का आय वर्ग, संख्या एवं अनुमानित लागत :–

क्र. सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	प्लॉट साईज (मीटर)	चार्जेबल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अनुमानित लागत (रू. लाखो में)
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	80	4.00 मी. x 11.00 मी.	एक कमरा, किचन, बाथरूम,शौचालय,लॉज	8.61
2.	अल्प आय वर्ग	120	6.00 मी. x 12.00 मी.	एक कमरा, किचन, बाथरूम,शौचालय,लॉज	16.30

नोट :–

अ. आवासों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

ब. उक्त तालिका में आवासों की केवल अनुमानित लागत बताई जा रही है। जिसमे कमी अथवा बढोतरी हो सकती है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा लंगेरा, आवासीय योजना, बाड़मेर की वर्ष 2025–26 की भूमि एवं विकास दर अनुसार अनुमानित लागत निर्धारण किया गया है। भवन निर्माण सामग्री मुख्यतः सीमेन्ट, स्टील एंव अन्य सामग्री की बाजार दरो मे काफी उतार–चढाव आ रहा है। इस कारण से आवासों की वास्तविक लागत का अनुमान लगाया जाना कठिन है। अतः मण्डल द्वारा आवास आवंटन के समय की अन्तिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप/विवाद मान्य नहीं होगा।

आवासीय योजना की विशेषताऐं :–

यह आवासीय योजना मण्डल की लंगेरा आवासीय योजना बाड़मेर में स्थित है इस आवासीय योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :–

1.	रेलवे स्टेशन	6.0 कि.मी.
2.	बस स्टेण्ड	8.0 कि.मी.
3.	सामान्य अस्पताल	6.5 कि.मी.
4.	गर्ल्स कॉलेज	6.0 कि.मी.

पंजीकरण की पात्रता एव शर्ते :–

आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों, उपनियमों एवं उपबंधों/परिपत्रों के अधीन निम्नानुसार किया जावेगाः–

1. राजस्थान आवासन मण्डल में कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक पंजीकरण करवा सकता है। आवेदन पत्र भरने की तिथि तक आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।यदि किसी आवेदक को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य/विशिष्ट पंजीकरण, स्ववित्त पोषित योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में आवास/फ्लेट आवंटन हो चुका है अथवा अन्य से क्रय किया हुआ है वह भी इस योजना में आवास आवंटन हेतु पंजीकरण करवा सकता है।

2. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं अविवाहित वयस्क बच्चों पुत्र व पुत्री भी स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से आवास आवंटन हेतु पात्रता रखेगा।

3. (अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)

   (ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र ''आधार कार्ड' (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए।(यदिप्राप्त कर लिये हो)

4. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. मण्डल द्वारा आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा।

तालिका 2

क्र. स.	वर्ग	आरक्षण का विवरण	प्रश्नगत अधिसूचना की पालना में समायोजित			कुल योग (%)
			सामान्य (%)	(G-9) दिव्यांग 5%	निराश्रित एंव भूमिहीन (G-11) एकल महिला 10%	
1	G-1 (i)	(अ) राज्य कर्मचारी/बोर्ड/निगम/प्राईवेट सैक्टर के कार्यरत कर्मचारी (ब) सरकारी कर्मचारी की विधवायें (कर्मचारी की मृत्यु से) 10 वर्ष तक (स) केन्द्र सरकार के कर्मचारी	8.50	0.50	1.00	10.00
	G-1 (ii)	(अ) वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक/सीमा सुरक्षा बल/ केन्द्रीय औधौगिक सुरक्षा बल/ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के रक्षाकर्मी (ब) सैनिक विधवायें/ वीरांगनाये (स्थल सेना को प्राथमिकता)	8.50	0.50	1.00	10.00
2	G-2 (i)	सामान्य श्रेणी	33.58	1.97	3.95	39.50
	G-2 (ii)	प्रोफेशनल श्रेणी (केवल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर्स)	4.25	0.25	0.50	5.00
3	G-3	मण्डल कार्मिक	0.85	0.05	0.10	1.00
4	G-4	अनुसूचित जाति	13.60	0.80	1.60	16.00
5	G-5	अनुसूचित जन जाति	10.20	0.60	1.20	12.00
6	G-6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद	0.85	0.05	0.10	1.00
7	G-7	स्वतंत्रता सैनानी	0.42	0.03	0.05	0.50
8	G-8	अधिस्वीकृत पत्रकार	1.70	0.10	0.20	2.00
9	G-10	वीरता पुरूस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	0.85	0.05	0.10	1.00
10	G-12	परलैंगिक व्यक्ति (Transgender)	1.70	0.10	0.20	2.00

नोट. (अ) मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा को वैतनिक वर्ग में आवास प्राप्ति हेतु कर्मचारी की मृत्यु के समय आय 6.00 लाख से अधिक न हो तथा निराश्रित एवं भूमिहीन एकल महिला के मामले में आय 0.80 लाख प्रतिवर्ष से अधिक न हो।

(ब) यदि उपरोक्त तालिका की क्रम संख्या 1 से 10 में दर्शित वर्ग के आवेदकों के पार्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो अनय श्रेणी आवेदकों के आवास गैर वेतन भोगी वर्ग (जी 2–1) के लिए अन्तरित कर दिये जायेंगें।

(स) आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए यदि एक भी आवास उस आरक्षित श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे आवेदन पत्र को सामान्य श्रेणी अवैतनिक वर्ग के आवेदकों की (जी2–1) में सम्मिलित किया जावेगा।

(द) आरक्षित वर्गो के पर्याप्त आवेदक न होने पर शेष रहे आवासों को जी–2 वर्ग मे स्थानांतरित किया जा सकेंगा।

(य) श्रेणीवार आरक्षित कोटा निर्धारण हेतु आवाश्यक प्रमाण–पत्र/शपथ पत्र अनिवार्य है अन्यथा आवेदक का पंजीकरण अवैतनिक श्रेणी प्रथम मे मान लिया जावेगा।

(र) प्राईवेट सेक्टर में उन्हीं कार्मिकों को शामिल किया जायेगा, जिनकी भविष्य निधि की कटौती उनके संस्थान द्वारा की जाती है तथा संस्थान द्वारा स्थाई वैतनिक होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं कार्मिक द्वारा आयकर विवरिणी का ब्यौरा संस्थान/कर विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।

6 ''आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रुप से दिव्यांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाडी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ–पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।''

7 यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएं गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी। आवेदन पत्र में आवंटी द्वारा दर्शाई गई श्रेणी ही मान्य होगी। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व समस्त विशिष्ठियों की जांच कर सन्तुष्टि के पश्चात ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। गलत प्रविष्ठी पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

8. इस योजना में तालिका 1 में दर्शाये हुए आवासों हेतु आवेदक की वार्षिक आय एंव पंजीकरण राशि का विवरण निम्नलिखित तालिका–3 के अनुसार है :–

तालिका–3

क्र. स.	आय वर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि	आवेदन शुल्क (रुपये में)	प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रुपये में)
1	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	300000.00 लाख तक	7000.00 एंव जीएसटी 1% कुल राशि 7070.00	300.00 एंव 18% जीएसटी कुल राशि 354.00	500.00 एंव 18% जीएसटी कुल राशि 590.00	8014.00
2	अल्प आय वर्ग	300001.00 से 600000.00 तक	15000.00 एंव जीएसटी 1% कुल राशि 15150.00	300.00 एंव 18% जीएसटी कुल राशि 354.00	700.00 एंव 18% जीएसटी कुल राशि 826.00	16330.00

9. आवास का आवंटन नगद भुगतान/किराया क्रय पद्धति के आधार पर किया जायेगा। निर्मित आवासों में 45 प्रतिशत आवास नगद भुगतान तथा 55 प्रतिशत किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये जाएंगे। किराया क्रय पद्वति के तहत नियमानुसार किश्तो को मय जीएसटी करवाना होगा।

10. नगद भुगतान पद्धति से आवास आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते है शेष आधी राशि आवंटन पत्र के माध्यम से ले ली जावेगी।

12. थल सेना/जल सेना/वायू सेना एंव एंव इनके भूतपूर्व सैनिकों एंव विरांगनाओं के लिए मण्डल की आवासीय योजनाओं में पंजीकरण राशि का 1/10 भाग जमा करा सकते है शेष राशि आवंटन पत्र के माध्यम से ले ली जावेगी।

13. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं मे विभिन्न आय वर्ग के आवेदको के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेंदक हेतु राशि 500/– + 18 प्रतिशत जीएसटी एंव अल्प आय वर्ग के आवेदक हेतु राशि 700/– + 18 प्रतिशत जीएसटी देय होगी एवं देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुर्नभुगतान/समायोजन नही किया जायेगा।

14. यदि आवेदक शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा यदि आवासों का आवंटन हो गया हो तो भी मण्डल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवासों का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार

कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी एवं मण्डल द्वारा जी.एस.टी. राशि रिफण्ड नहीं की जाएगी।

15. उक्त योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जावेगी। लॉटरी के पश्चात शेष रहे असफल आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में लौटा दी जावेगी।

16. विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवासों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान निम्नानुसार एवं विवरण तालिका–4 अनुसार हैः–

तालिका–4

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्वग्रहण राशि किश्त (रूपये में)			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
1	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	5000.00	5000.00	5000.00	15000.00
2	अल्प आय वर्ग	10000.00	10000.00	10000.00	30000.00

17. आवास आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार आवास आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किश्तों में जमा करानी होती है। प्रथम किश्त पूर्वग्रहण राशि–पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किश्त उसी पत्र के जारी होने कि तारीख से 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किश्त का भुगतान उसी पत्र के जारी होने कि तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो जमा करानी होगी।

18. आरक्षण पत्र के अनुसार देय किश्त की राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. की राशि अलग से देय होगी।

19. आवेदकों को **बिन्दु सं. 16** के अनुसार जारी किये जाने वाले पूर्व ग्रहण राशि पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ती/ब्याज व नियमानुसार जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगी।

20. प्रस्तावित योजना यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से मूर्तरुप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में 30 माह बाद के समय का आवेदकों को जमा पंजीकरण राशि पर नियमानुसार ब्याज देते हुए लौटा दी जायेगी।

21. इस योजना मे कुल प्राप्त आवेदन पत्रों मे से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग मे उपलब्ध आवास की संख्या के बराबर सफल आवेदको की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात शेष असफल रहे आवेदको की उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज के) कर दिया जावेगा।

22. **रिफण्ड**

(i) रेरा अधिनियम 2016 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार मण्डल में प्रचलित सम्पत्ति निस्तारण एवं वित्तीय नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने एवं रेरा प्रावधानों के अनुसार आवेदक द्वारा पंजीकरण निरस्त/वापसी की

अवस्था में पंजीकरण राशि (जो लागत की अधिकतम 10 प्रतिशत हो) जब्त की जा सकती है।

23. आरक्षण पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख–रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही ढांचा स्तर तक निर्माण होने के पश्चात आवासों का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने आवास के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।

24. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा पूर्वग्रहण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

25. मण्डल द्वारा निर्मित आवास की वास्तविक लागत निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

26. आवेदक को लॉटरी द्वारा आवास आवंटित किये जाने के पश्चात् आवास की देय बकाया राशि जमा कराने हेतु आवंटन पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उक्त आवंटनपत्र की मांग राशि जमा कराने के लिए समयावधि मण्डल द्वारा नियमानुसार प्रदान की जावेगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही कर आवास का पंजीकरण एवं आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा

27. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे, जिनका आवासों की लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है, ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगे :–

(क) **लीज राशिः** यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।

(ख) **किराया क्रय अग्रिम जमा राशि :** यह राशि जो कि आवास की कुल किमत का 5 प्रतिशत है मण्डल के पास धरोहर के रुप में जमा रहेगी और आवंटी द्वारा विभिन्न बकाया राशि समय पर जमा न कराने की दशा में जब्त की जा सकती है यह राशि किराया क्रय अवधि के संतोषप्रद रुप से पूर्ण हो जाने पर समायोजित कर दी जायेगी।

(ग) **अन्य खर्चे :**

(i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए 242वी. बोर्ड बैठक में अतिरिक्त भूमि का भी आवंटन पत्र की दर से लिये जाने का प्रावधान किया है नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।

(ii) अन्य विविध खर्चे, जो कि आवासन मण्डल, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुसार वसूल किये जावेगें।

28. मण्डल के आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

29. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा, जैसे–आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करना होगा।

30. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मण्डल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :–

1. विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
2. सेनेटरी फिटिंग
3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।

31. आवासन मंडल अपनी योजनाओं/आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।

32. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उपबंधों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम/अधिकृत होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।

33. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

34. (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना **कार्यालय आवासीय अभियंता राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड प्रथम वृत्त द्वितीय जोधपुर** के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नही देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मडल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।

(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय–समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय में सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट https:/rhb.rajasthan.gov.in के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।

35. **वित्तीय सुविधायें :** आवासन मण्डल से आवास लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र /त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।

36. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा–आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्व–हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।

37. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 7 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास लेना चाहता है।

38. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यो को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये शून्य घोषित कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी व मण्डल द्वारा जी.एस.टी. राशि रिफण्ड नहीं की जाएगी।

39. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्वहस्ताक्षरित हो एंव आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दुः

i. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।

ii. दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।

iii. आवेदन–पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण–पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।

iv. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

v. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से दिव्यांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।

vi. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।

vii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।

viii. आवास आवंटन/कब्जे के बाद आवास का रख–रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।

ix. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद **बाड़मेर** शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।

x. आवासन मण्डल की इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।

xi. इस योजना मे निर्धारित आय वर्ग से दो आय वर्ग उपर अथवा दो आय वर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सेकेंगे। इस स्थिति मे वरीयता निर्धारण हेतु मूल आय वर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आय वर्ग के उपर के आय वर्ग के आवेदको को द्वितीय वरीयता तथा मूल आय वर्ग के नीचे के आय वर्ग के आवदेको को तृतीय वरीयता दी जायेगी।

xii. उक्त योजना के माध्यम से आवंटित आवास किन्ही कारणों से यदि निरस्त किया जाता है या अवशिष्ट हो जाता है तो अवशिष्ट आवास निस्तारण खुली बिक्री योजना/नीलामी/ई–बिड सबमिशन के माध्यम से करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

xiii. उक्त योजना के माध्यम से आवंटित आवास किन्ही कारणों से यदि निरस्त किया जाता है या अवशिष्ट आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट https:/rhb.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन भरे जायेंगे। इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रूपये 354/– पंजीकृत राशि मे सम्मिलित कर सीधे ही अपने बैंक खाते के माध्यम से इन्टरनेट बैंकिंग के मार्फत जमा करवाया जा सकता है।

आवेदक का फोटो

सभी आवेदकों के लिए

शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु. ....वर्ष, जाति.............................. निवासी ....एत्दद्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि:–

1. मैं भारत का/की नागरिक हूं।
2. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय–समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
3. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है। तो आवेदन पत्र / आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यनिष्ठा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 3 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 100/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

गैर वेतनभोगी आवेदकों के लिए
आय प्रमाण–पत्र हेतु शपथ–पत्र
(आवश्यक नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

शपथ–पत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....आयु........ .... जाति .... निवासी ....(अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता/करती हूँ:–

यहकि मेरे परिवार की वर्ष 2024–2025 में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्न प्रकार थी–

अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्त्रोतों से .... रुपये थी।

ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्त्रोंतों से वार्षिक आय ....रुपये थी।

स. यह कि वित्तीय वर्ष 2024–2025 में मेरे परिवार की कुल आमदनी ....रुपये थी।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यापन

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... जाति .... निवासी .... सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सत्य है तथा मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 100/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तथा आवदेक द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही आय के स्त्रोत अथवा उनके स्वामित्व की कृषि भूमि से प्राप्त आय की विवरणिका शामिल किया जाना आवश्यक है।)

वेतनभोगी आवेदकों के लिए

आय प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....इस विभाग/ उपक्रम/ कम्पनी/ संस्था (विभाग/संस्था का नाम) .... में.. पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी 2024–25 की सकल वार्षिक आय रुपये ....थी।

क्रमांक/दिनांक ....

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी.. ....जिला ....संभाग.............................राज्य ....जाति ....के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति में है।

हस्ताक्षर

तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

स्वतंत्रता सैनानियों के लिए

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी .... जिला .... स्वतंत्रता सैनानी है। इन्हें वर्ष .... में राज्य सरकार द्वारा ताम्र–पत्र/प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर

जिला कलक्टर/उप सचिव/सहायक सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग)
राजस्थान सरकार, जयपुर

शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री... निवासी .... ने वर्ष .... में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1. ....

2. ....

3. ....

सचिव
राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

<u>अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए</u>

<u>प्रमाण—पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी ग्राम....................................... जिला .... अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र/पत्रिका (नाम) .... नियमित रूप से प्रकाशित होता/होती है।

हस्ताक्षर

सक्षम अधिकारी
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

<u>भूतपूर्व सैनिकों एवं सैन्य विधवा के लिए</u>

<u>प्रमाण—पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...निवासी... .... सेवानिवृत भूतपूर्व सैनिक है/युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है/युद्ध में हताहत हुए दिव्यांग सैनिक है।

सचिव
राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना अनिवार्य है।)

<u>राजस्थान के विधायकों / सांसदों के लिए</u>

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.. विधानसभा क्षेत्र / लोकसभा क्षेत्र / राज्यसभा, राज्य .... से सत्र .... में सदस्य हैं।

हस्ताक्षर

महासचिव / सचिव लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा सचिवालय

<u>भूतपूर्व विधायकों / सांसदों के लिए</u>

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.. विधानसभा क्षेत्र / लोकसभा क्षेत्र / राज्यसभा, राज्य .... से सत्र .... में सदस्य रहे हैं एवं भूतपूर्व विधायक / सांसद हैं।

हस्ताक्षर

महासचिव / सचिव
लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा सचिवालय

मूल्य रु0 300—/ + 54/—(जीएसटी) = 354/—

आवेदक/ आवेदिका का नवीनतम सत्यापित फोटो

राजस्थान आवासन मण्डल

''विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2025''

लंगेरा आवासीय योजना, बाड़मेर

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग स्वंतत्र आवास हेतु

आवेदन क्रमांक : .... **आवेदन पत्र**

आवेदित आय वर्ग : ....(सम्बंधित आय वर्ग लिखें)

1	आवेदक/आवेदिका का नाम (आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करें, इसमें किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री/श्रीमती ....
2	पिता / पति का नाम (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री ....
3	जन्म तिथि	....
4	राष्ट्रीयता	....
5	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)	पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाइसेन्स/बिजली/पानी/टेलीफोन बिल/भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र/अन्य फोटोयुक्त मान्य दस्तावेज ....
5ए	आधार कार्ड का नम्बर	....
6	व्यवसाय का स्वरूप इंगित (√) करे (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	वैतनिक ☐ अवैतनिक ☐
7	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा)	.... दूरभाष नं. .... मोबाईल. न. .... ई—मेल आईडी ....
8	आवेदक /आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रुपये में) (वित्तीय वर्ष 2024—25) पैन नं. (लागू हो, तो अवश्यक लिखें)... (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	
	(अ) स्वयं की आय (ब) पति/पत्नी की आय (स) आश्रितों की आय	
	कुल वार्षिक आय (अ+ब+स) :	
	आवेदित पंजीकरण का विवरण	
9	पंजीकरण राशि रु0	वर्तमान आवेदित आय वर्ग ....
10	भुगतान की पद्दति	नगद भुगतान पद्दति ☐ किराया क्रय पद्दति ☐
11	निम्नांकित तालिका में अपना वर्ग (श्रेणी) इंगित (√) करें (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
	जी—1 : वैतनिक श्रेणी वैतनिक श्रेणी—प्रथम(G-1-I) (अ) राज्य कर्मचारी/बोर्ड/निगम/प्राईवेट सैक्टर के कार्यरत कर्मचारी (ब) सरकारी कर्मचारी की विधवायें (कर्मचारी की मृत्यु से) 10 वर्ष तक (स) केन्द्र सरकार के कर्मचारी वैतनिक श्रेणी—द्वितीय (G-1-II) (अ) वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक/सीमा सुरक्षा बल/ केन्द्रीय औधौगिक सुरक्षा बल/ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के रक्षाकर्मी (ब) सैनिक विधवायें/ वीरांगनाये (स्थल सेना को प्राथमिकता)	जी—2 : अवैतनिक श्रेणी अवैतनिक श्रेणी—प्रथम (G-2-I)— सामान्य अवैतनिक श्रेणी—द्वितीय (G-2-II)— प्रोफेशनल श्रेणी (केवल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवंप्राईवेट डॉक्टर्स)
	जी—3 : राजस्थान आवासन मण्डल कार्मिक **(**बोर्ड कर्मचारी**)**	जी—4 : अनुसूचित जाति
	जी—5 : अनुसूचित जन जाति	जी—6 : वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद

	जी–7 : स्वतंत्रता सैनानी	जी–8 : अधिस्वीकृत पत्रकार
	जी–9 : दिव्यांग	जी–10 : वीरता पुरूस्कार प्राप्त सैनिक/ ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी
	जी–11 :निराश्रित एवं भूमिहीन एकल महिला	जी–12 : परलैंगिक व्यक्ति (Transgender)

12	आवेदक का बैंक बचत खाता संख्या, जिसमें पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में रिफण्ड की राशि का चैक भिजवाया जा सके :–	
अ.	बैंक, शाखा एवं शहर का नाम	....
ब.	बचत खाता संख्या	....
स.	आईएफएस कोड	....
13	संलग्नक	
	(i) स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज (ii) पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो) (iii) पते का प्रमाण–पत्र (iv) आय का प्रमाण–पत्र (v) पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट (vi)श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र (vii)अन्य वाछिंत प्रमाण पत्र / शपथ पत्र।	
14	घोषणा :–	
	1 मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूॅं कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भीछुपाया नहीं गया है।	
	2 मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूॅं कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबंन्धों एवं शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मै उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूॅं।	
	3 मेरा या मेरे आश्रितों का आवेदित शहर क्षेत्र, जिसमें पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा/रही हूॅं, में पूर्णतया अथवा भाग रूप में, फ्री होल्ड या पट्टे के आधार पर भूखण्ड या आवास नहीं है।	
	4 मेरा या मेरे आश्रितों को आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य / विशिष्ट/स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में मण्डल से किसी भी श्रेणी / माप का आवास आरक्षित / आवंटित नहीं है।	
	5 मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय समय पर मांग की गई राशियां जमा नही कराता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने के लिएस्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहुंगी।	
	6 मेरी मृत्यु होने की दशा में, मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमानक्रम में नाम निर्देशित करता/करतीहूॅः–	

क्र.सं.	नाम	आयु	संबंध
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

सत्यापित
(नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)
मुहर के साथ

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम ....
स्थान ....
दिनांक ....

पंजीकरण राशि जमा कराने हेतु
आवेदन क्रमांक ....

चालान संख्या....................

राजस्थान आवासन मण्डल
विशिष्ट पंजीकरण योजना – वर्ष 2025
(लंगेरा आवासीय योजना, बाड़मेर)

प्रथम प्रति
(आवेदक द्वारा भरा जावे)

IDFC FIRST BANK A.C. N.o.-10231662435
IFSC CODE - IDFD0042481 .

1. आवेदक / आवेदिका का का नाम
....
2. पत्र व्यवहार का पता..
....
....
3. भुगतान पद्धति : नकद / किराया क्रय...............
4. आय वर्ग : ....
5. बैंक डीडी नं. ....
बैंक का नाम :..
दिनांक : ....
6. पंजीकरण राशि (अंकों में)..................................
(शब्दों में)...
....

दिनांक : ....
स्थान : ....

आवेदक के हस्ताक्षर

चालान संख्या....................

राजस्थान आवासन मण्डल
विशिष्ट पंजीकरण योजना – वर्ष 2025
(लंगेरा आवासीय योजना, बाड़मेर)

द्वितीय प्रति
(आवेदक द्वारा भरा जावे)

IDFC FIRST BANK A.C. N.o.-10231662435
IFSC CODE - IDFD0042481

1. आवेदक / आवेदिका का का नाम
....
2. पत्र व्यवहार का पता..
....
....
3. भुगतान पद्धति : नकद / किराया क्रय...............
4. आय वर्ग : ....
5. बैंक डीडी नं. ....
बैंक का नाम :..
दिनांक : ....
6. पंजीकरण राशि (अंकों में)..................................
(शब्दों में)...
....

दिनांक : ....
स्थान : ....

आवेदक के हस्ताक्षर

चालान संख्या....................

राजस्थान आवासन मण्डल
विशिष्ट पंजीकरण योजना – वर्ष 2025
(लंगेरा आवासीय योजना, बाड़मेर)

तृतीय प्रति
(आवेदक द्वारा भरा जावे)

IDFC FIRST BANK A.C. N.o.-10231662435
IFSC CODE - IDFD0042481

1. आवेदक / आवेदिका का का नाम
....
2. पत्र व्यवहार का पता..
....
....
3. भुगतान पद्धति : नकद / किराया क्रय...............
4. आय वर्ग : ....
5. बैंक डीडी नं. ....
बैंक का नाम :..
दिनांक : ....
6. पंजीकरण राशि (अंकों में)..................................
(शब्दों में)...
....

दिनांक : ....
स्थान : ....

आवेदक के हस्ताक्षर

चालान संख्या....................

राजस्थान आवासन मण्डल
विशिष्ट पंजीकरण योजना – वर्ष 2025
(लंगेरा आवासीय योजना, बाड़मेर)

चतुर्थ प्रति
(आवेदक द्वारा भरा जावे)

IDFC FIRST BANK A.C. N.o.-10231662435
IFSC CODE - IDFD0042481

1. आवेदक / आवेदिका का का नाम
....
2. पत्र व्यवहार का पता..
....
....
3. भुगतान पद्धति : नकद / किराया क्रय...............
4. आय वर्ग : ....
5. बैंक डीडी नं. ....
बैंक का नाम :..
दिनांक : ....
6. पंजीकरण राशि (अंकों में)..................................
(शब्दों में)...
....

दिनांक : ....
स्थान : ....

आवेदक के हस्ताक्षर

बैंक खाता **IDFC FIRST BANK**
KASTURI PLAZA, BOMBAY
MOTOR CIRCLE JODHPUR
खाता संख्या 10231662435
IFSC कोड **IDFB0042481**
बैंक का नाम – **IDFC FIRST BANK**

चालान

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम सेक्टर 11 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

''विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2025''
लंगेरा आवासीय योजना, बाड़मेर में
आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के स्वंतत्र आवास

1.	सेक्टर / कॉलोनी का नाम	:	लंगेरा आवासीय योजना, बाड़मेर
2.	योजना का नाम	:	**''विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2025''**
3.	आवेदक/आवेदिका का नाम	:	....
4.	पत्र व्यवहार का पता	:	....
5.	बैंक अकाउन्ट नम्बर आई.एफ.एस.सी.कोड दिनांक	: :	....
6.	पंजीकरण राशि (अंकों में) (शब्दो में)	:	रू0 .... रूपये ....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक......................
स्थान ....

आवेदक द्वारा भरा जावे

आवेदन पत्र चालान क्रमांक ....

राजस्थान आवासन मण्डल

''विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2025''

लंगेरा आवासीय योजना, बाड़मेर

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के स्वंतत्र आवास

आवेदन पत्र

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु			आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु	
1.	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
2.	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटों यथास्थान अपलोड कर दिया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
3.	क्या आवेदक के फोटो पहचान–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि अपलोड है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
4.	क्या आवेदक के पते के प्रमाण– स्वरूप दस्तावेज अपलोड है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
5.	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के अनुसार पेनकार्ड की प्रति अपलोड की है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
6.	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
7.	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र अपलोड किया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
8.	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
9.	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र अपलोड है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
10.	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
11.	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
12.	क्या वाछिंत राशि जमा है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
13.	क्या वांछित शपथ पत्र अपलोड कर दिये है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

1. आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
2. आवेदक का ग्रुप है –सामान्य /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/दिव्यांग/पुरस्कृत /पदक
3. आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
4. अन्य टिप्पणी..

क.सहायक/सहायक   कार्यालय अधीक्षक   स.आवासन अधिकारी/सम्पदा प्रबन्धक

GENERAL SPECIFICATIONS OF CONSTRUCTION

1. R.R. Stone Masonary foundation plinth in cement Mortar. 1:6
2. R.R. Stone masonry for superstructure in cement sand mortar. (1:4)
3. R.C.C. Work in plinth/Lintel band & Slab.
4. Plaster in Cement sand mortar. (1:6)
5. Tile Flooring & Wall Tiles in Toilet & Bathroom
6. Steel Door Frames,Section Window & Ventilator.
7. Flush door shutters with steel fittings.
8. Interior Finishing: POP/Oil bound distemper.
9. Exterior finishing: acrylic paint.

RAJASTHAN HOUSING BOARD

TYPE DESIGN - EWS (4M * 11.0M) LANGERA BARMER

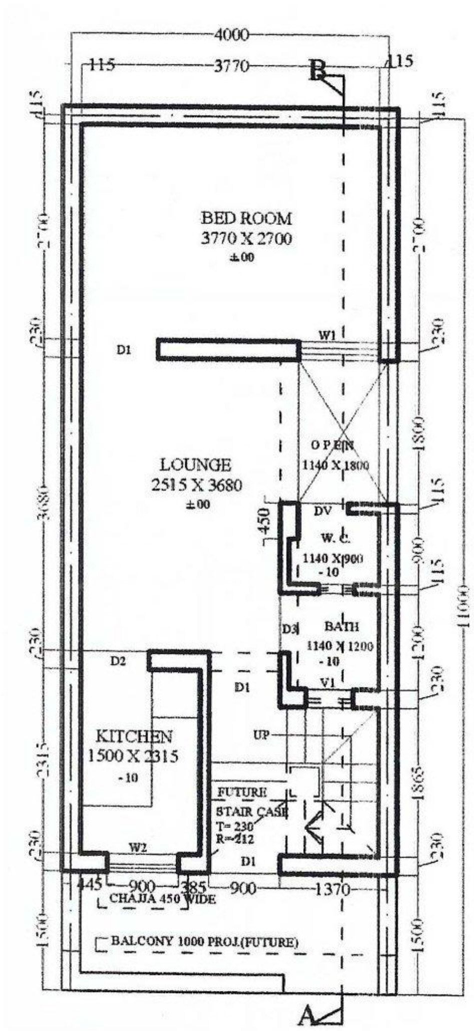

TYPE DESIGN - EWS

Plot Size - 4M * 11.00 M

Plinth Area - 33.25 SQM

RAJASTHAN HOUSING BOARD

TYPE DESIGN - LIG (6M *12.0M) LANGERA BARMER

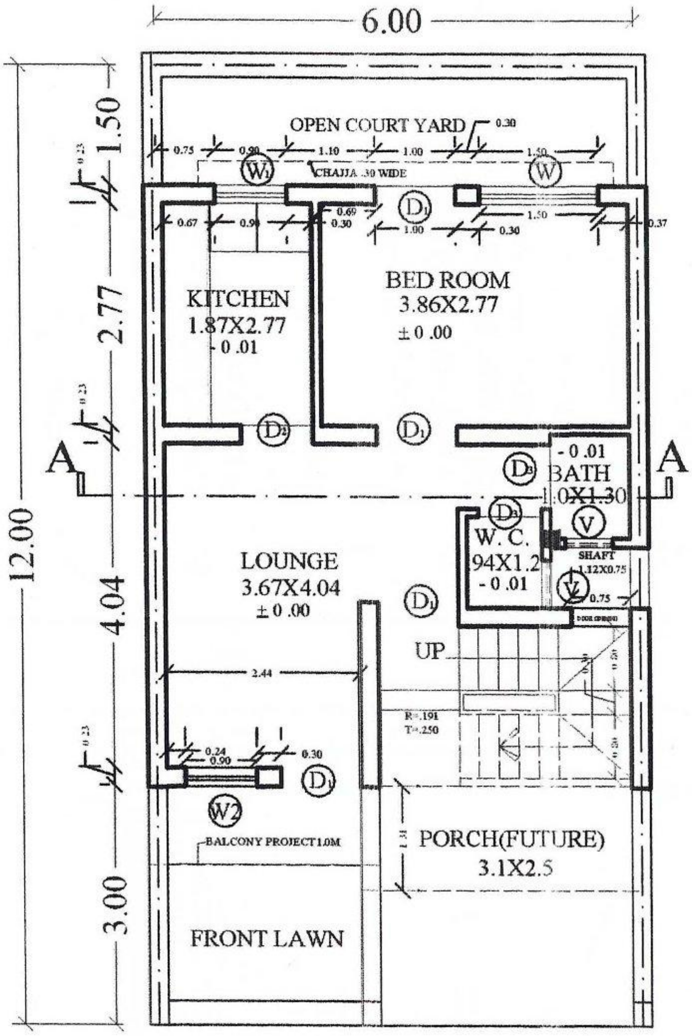

TYPE DESIGN - LIG

Plot Size - 6.0 * 12.00 M

Plinth Area - 48.60 SQM

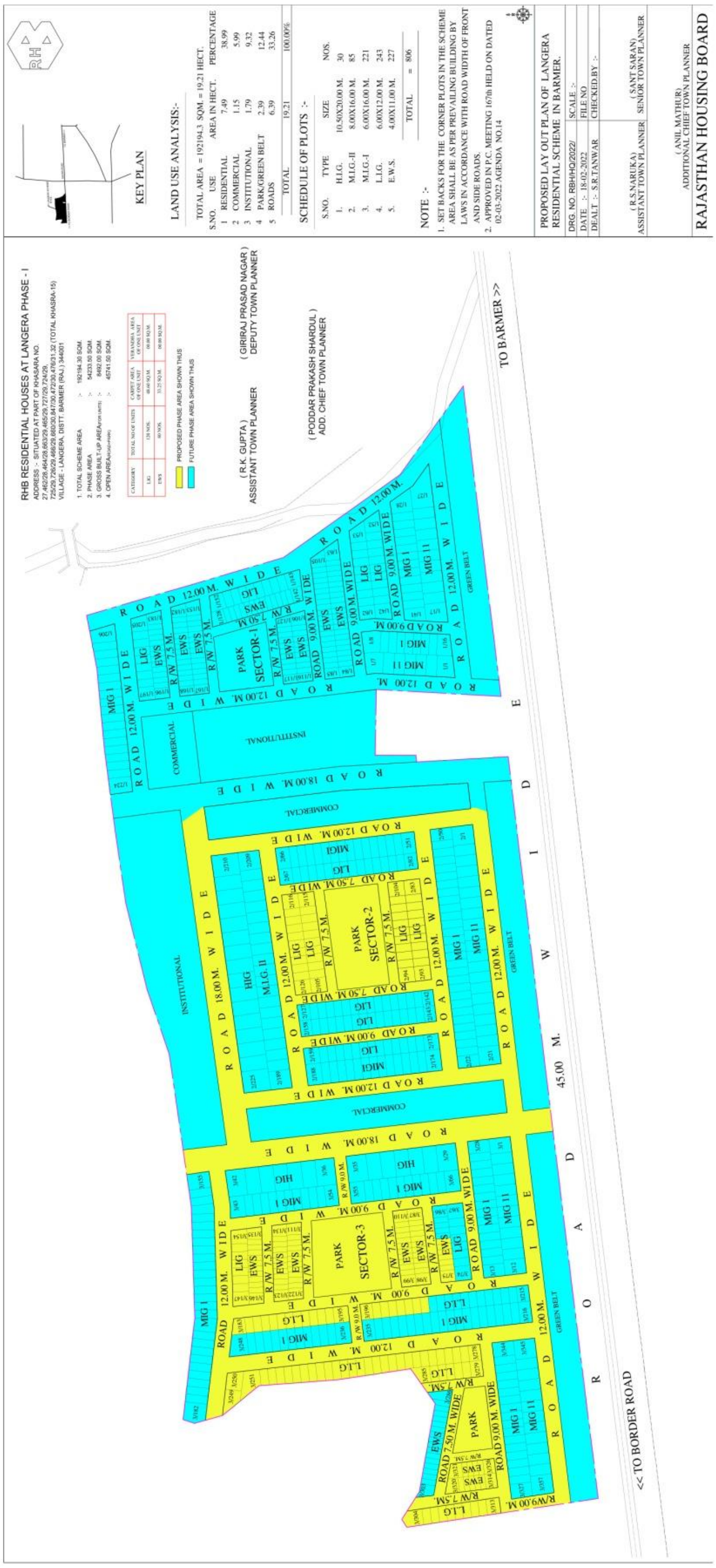
RHB RESIDENTIAL HOUSES AT LANGERA PHASE - I
KEY PLAN
LAND USE ANALYSIS:-
SCHEDULE OF PLOTS :-
NOTE :-
PROPOSED LAY OUT PLAN OF LANGERA RESIDENTIAL SCHEME IN BARMER.
RAJASTHAN HOUSING BOARD
TO BARMER >>
<< TO BORDER ROAD
ROAD 45.00 M. WIDE
INSTITUTIONAL
COMMERCIAL
PARK SECTOR-1
PARK SECTOR-2
PARK SECTOR-3
GREEN BELT

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दु

यह सुनिश्चित कर लें कि :-

1. आवेदन हेतु पंजीकरण की निर्धारित पूर्ण राशि एक बार में ही Online आवेदन करते समय फॉर्म के साथ जमा करानी होगी।

   आवेदन पत्र के साथ Online स्केन कर अपलोड किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्न है:-

i. आय का प्रमाण पत्र।

ii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर।

iii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो।

iv. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा-आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक-एक स्व-हस्ताक्षरित / सत्यापित प्रति।

V. कोई अन्य सूचना जो प्रपत्र में मांगी गई है।

RH

राजस्थान आवास मण्डल

आवास भवन, जनपथ ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान 302005
info.rhb@rajasthan.gov.in

rhb.rajasthan.gov.in